

**FORM-7**  
**[REGULATION-9**  
**]**

Quarterly progress report for quarter ending March/June/sept/December of **01April2023 to 30June 2023**

<b>I. PARTICULARS OF PROJECT</b>			
Project Registration Number	<b>BRERAP00008 -8/79/R-1397/2 022</b>	Name of Project/Phase of Registered Project	R.N HEIGHTS
Name of Promoter	RealGreen Homes Pvt.ltd	Project Address	PLOT NO-542,549,KH ATA NO-177,MAUZA SIKANDARPUR THANA DANAPUR
Name of Co-promoter			
Project Registration is valid up to	30/06/2025		
Starting date of Project or Phase of the Project	20/05/2022		
Type of Project or Phase of the Project	Residential Commercial Residential - cum-Commercial 4, Plotted project	MIXED DEVELOPMENT	
Period of validity of map by the Competent Authority	3.5 YEARS		

II. DISCLOSURE OF SOLD/BOOKED INVENTORY OF APARTMENTS					
Building/Block Number	Apartment Type		Carpet Area	Total Number of sanctioned apartments	Total Number of Apartments -
B+G+7,G+1	1 BHK -	3BHK	1041.00	B+G+7,G+1	1.Booked -16
	2 BHK, -	4BHK	1272.00		2.SOLD- NIL
	3 BHK -	4BHK	1263.00		
	Shop -	3BHK	1044.00		
	Bungalow	3BHK	956.00		
	- Plot etc. -	SHOP	200.00		

III. DISCLOSURE OF SOLD / BOOKED INVENTORY OF GARAGES			
Building / Block Number	Total Number of Sanctioned Garages	Total Number of Garages: Booked/Allotted	16
<b><i>B+G+7,G+1</i></b>	130	- Sold -	NIL

**IV. DETAILS OF BUILDING APPROVALS**

(If already filed along with Registration Application, then there is no need of further filing)

S · N o .	Name of the Approval / N.O.C./ Permission / Certificate	Issuing Authority	Applie d Date	Issuanc e Date	Enclosed as Annexure No.
1	NOC for Environment	NA			
2	Fire N.O.C.	YES		24/12/2021	
3	Water Supply Permission	NA			
4	NOC from Airport Authority of India	YES		18/06/2021	
5	Other Approval(s), if any, required for the Project.	NA			

## V. CONSTRUCTION PROGRESS OF THE PROJECT

1. Plan Case No. (To be added for each Building / Wing)		
S. No. (1)	Tasks / Activity (2)	Percentage of Actual Work Done (As on date of the Certificate) (3)
1.	Excavation (if any)	100%
2.	Basements (if any)	70%
3.	Podiums (if any)	0%
4.	Plinth	50%
5.	Stilt Floor	40%
6.	Slabs of Super Structure	30%
7.	Internal walls, Internal Plaster, Floorings, Doors and Windows within Flats /Premises.	0%
8.	Sanitary Fittings within the Flat/Premises, Electrical Fittings within the Flat/Premises	0%
9.	Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level, Overhead and Underground Water Tanks.	0%
10.	External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing.	0%
11.	Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, Mechanical Equipment, compliance to conditions of environment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per Specifications in Agreement of Sale.  Any other activities.	0%



**VI. AMENITIES AND COMMON AREA AND EXTERNAL INFRASTRUCTURE  
DEVELOPMENT WORKS**

S. No.	Common Areas and Facilities	Proposed (Yes/No)	Percentage of actual Work Done (As on date of the Certificate)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Internal Roads & Footpaths	YES	0%	
2.	Water Supply	YES	10%	
3.	Sewerage (Chamber, Line, Septic Tank, STP)	YES	0%	
4.	Storm Water Drains	YES	0%	
5.	Landscaping & Tree Planting	YES	0%	
6.	Street Lighting	YES	0%	
7.	Community Buildings	NO	-	
8.	Treatment and Disposal of Sewage and Sullage Water	YES	0%	
9.	Solid Waste Management & Disposal	YES	0%	
10.	Water Conservation / Rain Water Harvesting	YES	0%	
11.	Energy Management	YES	0%	
12.	Fire Protection and Fire Safety Requirements	YES	0%	
13.	Closed Parking	YES	0%	
14.	Open Parking	YES	0%	
15.	Electrical Meter Room, Sub- Station, Receiving Station	YES	0%	
16.	Others (Option to Add More)	YES	-	

## VI A EXTERNAL AND INTERNAL DEVELOPMENT WORKS IN CASE OF PLOTTED DEVELOPMENT

		PROPOSED YES/NO.	PERCENTAGE OF ACTUALWORK DONE (As on date of certificate)	Details
1.	Internal Roads and foot paths			
2.	Water Supply			
3.	Sewerage Chambers Septic Tank			
4	Drains			
5.	Parks, Land Scaping and Tree Planting			
6.	Street Lighting			
7.	Disposal of sewage & sullage water			
8.	Water conservation/Rain Water Harvesting			
9.	Energy Management			

(A)	Sr. No.		
	1.	Front Elevation	ATTACHED
	2.	Rear Elevation	ATTACHED
	3.	Side Elevation	ATTACHED
(B)		Photo of each floor	ATTACHED

VIII. FINANCIAL PROGRESS OF THE PROJECT		
S. No. (1)	Particulars (2)	Amount (In Rs.) (3)
1.	Project Account No.	<b>9646071351</b>
2.	Estimated Cost of the Project including land cost at the start of the Project	27CR
3.	Amount received during the Quarter	2,29,000,00/-
4.	Actual Cost Incurred during the Quarter	2,58,48,694.14/-
5.	Net amount at end of the Quarter	12,35,862.14/-
6.	Total expenditure on Project <b>till date</b>	7,34,75,648
7.	Cumulative fund collected till the end of Quarter in question	
8.	Cumulative expenditure done till the end of Quarter in question	

IX. DETAILS OF MORTGAGE OR CHARGE IF ANY CREATED	

X MISCELLANEO	
A	US List of Legal Cases (if any)



1.	Case No.	NA
2.	Name of Parties	NA
<b>B</b>	Sale/Agreement for Sale during the Quarter	
1.	Sale Deed	00
2.	Agreement for Sale	05
<b>XI. PERCENTAGE OF WORK ALONG WITH MILESTONE CHART</b>		
Weather the project in progress is as per time schedule or lagging behind?		

**Undertaking:**

I/we solemnly affirm, declare and undertake that all the details stated above are true to the best of my knowledge and nothing material has been concealed here from. I am/we are executing this undertaking to attest to the truth of all the foregoing and to apprise the Authority of such facts as mentioned as well as for whatever other legal purposes this undertaking may serve.

Real Green Homes Pvt. Ltd.  
Saurav Nayan.  
MD

Signature of Promoter

Name: Date:



## ARCHITECTS CERTIFICATE

(To be submitted at the time of Registration of Ongoing Project and for withdrawal of Money from Designated Account)

Date-30/06/2023

To,

M/s REAL GREEN HOMES PVT .LTD

2<sup>ND</sup> FLOOR , BINDESHWARI CHANDRA PALZA

S.K.PURI , PATNA -800001

**Subject :** Certificate of Percentage of Work executed in the project

Having building bearing the registration no .**BRERAP00008-8/79/R-1397/2022** and being developed on the plot bearing Khata no **177** And Plot no **542,549** Situated in In front of Pillor no .242 , Near Patliputra Railway Station , Patna.

Sir,

I/ We Mr. Uma Shankar have undertaken assignment as Architect of certifying Percentage of execution of Work of 1 Building of R.N. Heights being developed on Khata No **177** Plot No **542,549**

Admeasuring **5631.13** sq.mts area being developed by M/s REAL GREEN HOMES PVT.LTD .

1. Following technical professionals are appointed by Promoter :-

- (i) M/s Uma Shankar as Architect.
- (ii) SUSIL KUMAR
- (iii) JITENDRA KUMAR
- (iv) BIPIN BIHARI as a Site Supervisor

Based on site Inspection , with respect to each of the Building/ Wing of the aforesaid Real Estate the building / Wing of the Real Estate Project as registered vide number **BRERAP00008-8/79/R-1397/2022** under Bihar RERA is as per table A herein below. The percentage of the work executed with respect to each of the activity of the entire phase is detailed in Table B.

TABLE-A

Building/Wing Number 1

Sr.No	Tasks/ Activity	Percentage of work done
1	Excavation	100%
2	Number of Basement(s) and Plinth	70 % AND 30%
3	Number of Podiums	N/A
4	Stilt Floor	20%
5	Number of Slabs of Super Structure	25%
6	Internal Walls , Internal Plaster , Flooring within Flats/ Premises, Doors and Windows to each of the Flat/ Premises	0%
7	Sanitary Fitting within the Flat/ Premises. Electrical Fitting within the Flat/Premises	0%
8	Staircases , Lifts Wells and Lobbies at each Floor level connecting Staircases and Lifts. Overhead and Underground Water Tanks	1%
9	The external plumbing and external plaster, elevation. Completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing.	0%
10	Installation of lifts , water pumps. Fire Fighting Fittings and Equipment as per NOC from the concerned department, Electrical fittings to common Areas , electromechanical equipment. Compliance to conditions of environment/CRZ NOC finishing to required entrance lobby/s plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/ Wing. Compound Wall and allother requirements as may be required to obtain Occupation Certificate	0%

TABLE-B


Internal and External Development Works in respect of the entire Registered Phase.

Sr.No	Common areas and Facilities, Amenities	Proposed (Yes/No)	Percentage of work done	Details
1	Internal Roads & Footpaths.	YES	0%	
2	Water Supply	YES	15%	
3	Sewerage (chamber, lines, Septic Tank , STP)	YES	0%	
4	Storm Water Drains	YES	0%	
5	Landscaping & Tree Planting	YES	0%	
6	Street Light	YES	0%	
7	Community Buildings	N/A	N/A	
8	Treatment and disposal of sewage and sullage water	N/A	N/A	
9	Solid Waste management & disposal	N/A	N/A	
10	Water Conservation , Rain water	YES	0%	



	harvesting			
11	Energy management	YES	0%	
12	Fire protection and fire safety requirements	YES	0%	
13	Electrical meter rooms ,sub-station receiving station	YES	0%	
14	Other (Option to Add more).			

Yours Faithfully ,



AR. Umashankar Kumar  
Registered Architect  
Reg. No.-CA/2011/54023

Signature & Name Arch (Registration No./ License no)

# Sachin Agrawal & Gupta.

CHARTERED ACCOUNTANTS

G-153/154, Khetan Super Market, Birla Mandir Road Patna - 800 004. 7488086993, 9334992628(M)

## FORM-3 [see Regulation 3]

(FOR REGISTRATION OF A PROJECT AND SUBSEQUENT WITHDRAWAL OF MONEY

FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE 2023)

Cost of Real Estate Project Real Estate Regulatory Authority, Bihar Registration Number RERAP2311201700008-8

Sr.No.	Particulars	AMOUNT (RS) ESTIMATED/ INCURRED
I.	i. Land Cost :	
	a Acquisition Cost of Land lease Premium, lease rent, interest cost incurred or payable on Land Cost and legal cost	NIL
	b Amount of Premium payable to obtain CLU, FAR additional FAR and any other incentive from Local Authority or State Government or any Statutory Authority	
	c Amounts payable to State Government or competent authority or any other statutory authority of the State or Central Government, towards stamp duty, transfer charges, registration fees etc; and	18,56,285/-
	d Amounts payable to State Government or competent authority or any other statutory authority of the State or Central Government, towards stamp duty, transfer charges, registration fees etc; and	
	e Land Premium payable as per annual statement of rates (ASR) for development of land owned by public authorities	
Sub-Total of Land Cost		18,56,285/-
	ii. Development Cost/ Cost of Construction :	
	a (i) Estimated Cost of Construction as certified by Engineer	27,00,00,000/-
	(ii) Actual Cost of construction incurred as per the books of accounts as verified by the CA Note : (for adding to total cost of construction incurred, Minimum of (i) or (ii) is to be considered)	7,34,75,548/-
	(iii) On-site expenditure for development of entire project excluding cost of construction as per	
	(i) or (ii) above, i.e. salaries, consultants fees, site overheads, development works, cost of services (including water, electricity, sewerage, drainage, layout roads etc.), cost of machineries and equipment including its hire and maintenance costs, consumables etc. All costs directly incurred to complete the construction of the entire phase of the project registered.	
	b Payment of Taxes, cess, fees, charges, premiums, interest etc to any statutory Authority.	
	c Principal sum and interest payable to financial institutions, scheduled banks, non-banking financial institution (NBFC) or money lenders on construction funding or money borrowed for construction ;	
Sub-Total of Development Cost		7,34,75,548/-





2	Total Estimated Cost of the Real Estate Project [1(i) + 1(ii)] if Estimated Columns	27,00,00,000/-
3	Total Cost Incurred of the Real Estate Project [1(i) + 1(ii)] of Incurred Column	7,34,75,548/-
4	% completion of Construction Work (as per Project Architect's Certificate)	
5	Proportion of the Cost incurred on Land Cost and Construction Cost to the Total Estimated Cost. (3/2 %)	
6	Amount Which can be withdrawn from the Designated Account Total Estimated Cost * Proportion of cost incurred ( Sr. number 2 * Sr. number 5)	
7	Less: Amount withdrawn till date of this certificate as per the Books of Accounts and Bank Statement	
8	Net Amount which can be withdrawn from the Designated Bank Account under the certificate	

This certificate is being issued for RERA compliance for the Company [Promoter's Name] and is based on the records and documents produced before me and explanations provided to me by the management of the Company.

Place : Patna  
Date : 15<sup>th</sup> July, 2023



Yours faithfully,  
For Sachin Agrawal & Gupta  
Chartered Accountants

CA Mukesh Kumar  
Partner  
Membership No. 412369  
UDIN: 23412369BGRSVD5788

**(ADDITIONAL INFORMATION FOR ONGOING PROJECTS)**


Sl No.	PARTICULARS: as on 30.06.2023	AMOUNT (RS)
1.	Estimated Balance Cost to Complete the Real Estate Project (Difference of Total Estimated Project cost less Cost incurred ) (calculated as per the Form IV ) (As per Revised Estimates by the Engineer)	27,00,00,000/-
2.	Balance amount of receivables from sold apartments as per Annexure A to this certificate (as certified by Chartered Accountant as verified from the records and books of Accounts)	
3.	(i) Balance Unsold area (to be certified by Management and to be verified by CA from the records and books of accounts) (ii) Estimated amount of sales proceeds in respect of unsold apartments (calculated as per ASR multiplied to unsold area as on the date of certificate, to be calculated and certified by CA) as per Annexure A to this certificate	
4.	Estimated receivables of ongoing project. Sum of 2 + 3(ii)	
5.	Amount to be deposited in Designated Account – 70% or 100% IF 4 is greater than 1, then 70 % of the balance receivables of ongoing project will be deposited in designated Account IF 4 is lesser than 1, then 100% of the of the balance receivables of ongoing project will be deposited in designated Account	

This certificate is being issued for RERA compliance for the Company M/S Realgreen Homes Pvt Ltd and is based on the records and documents produced before me and explanations provided to me by the management of the Company

Yours faithfully,

For Sachin Agrawal & Gupta  
Chartered Accountants





CA Mukesh Kumar  
Partner

Membership No. 412369

Place : Patna  
Date : 15<sup>th</sup> July, 2023





# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/061221/551645

मालिक का नाम एवं पता

GAJENDRA PRASAD

दिनांक/DATE:

18-06-2021

OWNERS Name &  
Address

Gajendra Prasad at Sahi Bhawan Ganga  
Bihar Colony Beur Anisabad Patna  
800002 Bihar

वैधता/ Valid Up to: 17-06-2029

## ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	PATN/EAST/B/061221/551645
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Vinay Kumar
स्थल का पता / Site Address*	Plot No 542 549 Khata No 177 Thana No 17 Tauzi No 5853 5854 Thana Danapur Mauza Sikandarpur Patna,Sikandarpur Patna,Patna,Bihar
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	25 37 36.91N 85 04 00.91E, 25 37 35.20N 85 04 01.14E, 25 37 39.58N 85 04 03.12E, 25 37 36.97N 85 04 03.17E, 25 37 39.63N 85 04 03.66E, 25 37 35.09N 85 04 03.70E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	54 M





# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/061221/551645

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरैस्टर, सीढिया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।





# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/061221/551645

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in) पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रृंखला 'बी' पार्ट I सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in)

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.





# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/061221/551645

ग) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Patna विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the Patna Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule - V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS Airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

म) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

न) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in MSL shall prevail.



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/061221/551645

क्षेत्र का नाम / Region Name: पूर्व/EAST

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	ने.सु.च.बो.अ. हवाई अड्डा / I.S.C.B.I. Airport कोलकाता / Kolkata 700 052
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	
द्वारा तैयार Prepared by	18.06.21
द्वारा जांचा गया Verified by	Shoudhuy. 18.06.21

ईमेल आईडी / EMAIL ID : gmatmer@aai.aero  
फोन/ Ph: 033-25111293


## ANNEXURE/अनुलग्नक

### Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर मे)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Patna	4372.78	326.91
NOCID	PATN/EAST/B/061221/551645	




Street View



Apr-11-2021

0.00 km  
0.00 km  
0.00 km  
0.00 km

Satellite View



Apr-11-2021

0.00 km  
0.00 km  
0.00 km  
0.00 km

**औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र**  
**बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन**  
**बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत)**  
**निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।**

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,

गजेन्द्र प्रसाद,

राज्य अग्निशमन सेवा,

पिता-स्व0 शिवधर प्रसाद सिंह,

बिहार, पटना ।

पटना।

संदर्भ :- क्रमांक...3081..... दिनांक...24/12/2021...

आवेदनकर्ता मे0 वास्तुविद उमाशंकर कुमार (विशिष्ट आई.डी.नं0 CA/2011/54023)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाराज,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता मे0 गजेन्द्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च) (iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम श्री गजेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व0 शिवधर प्रसाद सिंह, प्लॉट नं0-542,549, खाता नं0-177, तौजी नं0-5853, 5854, थाना नं0-17, थाना-दानापुर, मौजा-सिकन्दरपुर, जिला-पटना अधिभोग आवासीय उप श्रेणी .... भवन की ऊँचाई 23.95 (मीटर में) फर्श क्षेत्र 2133.95 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 2, तलघर की संख्या 1, स्लिट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 80, लिफ्ट की संख्या 2, फायर लिफ्ट की संख्या 1, रैम्प की संख्या 3, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या शून्य, फायर टावर की संख्या शून्य है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 9.0 मी0, दक्षिण 5.0 मी0, पूर्व 5.0 मी0, पश्चिम 6.0 मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 4, चौड़ाई 2.44 (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 2.32 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है ।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्टिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।



(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेंटीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

#### (4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेंट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

- (क) होज रोल
- (ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (2 अदद)
- (ग) यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम
- (घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
- (ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
- (च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
- (छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 1,00,000 लीटर
- (ज) ओभर हेड वाटर टैंक 18780,18780,18780,18780,25740 लीटर क्षमता
- (झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, शून्य एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
- (ञ) फायर एक्सटीग्यूशर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभाग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

#### (क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था



किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेन्टिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट साँफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रिंकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशामन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके और हट वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत कंबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेंटेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सकें और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएँ :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कॉरिडोर) का रोशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसर्राइजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँआ के हार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को

ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुआँ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसपेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) को नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक:-

- 1) मे0 वास्तुविद, उमारांकर कुमार
- 2) अध्यक्ष नगर निगम, पटना

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,  
बिहार, पटना।